

16

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व ~~वेड~~ मंडल ग्वालियर,

जिला-जबलपुर, म0प्र0

रा.अ.प्र.कं.- अपील = 5886/2018/करनी/भू-रा -

अपीलार्थी:-

ए.बी. बिल्डफेम प्राइवेट लिमिटेड, द्वारा श्री

ए0के0शर्मा, आत्मज श्री वाई0के0शर्मा, निवासी-

विरुद्ध

उत्तरार्थी:-

मध्यप्रदेश शासन

670

अपील अंतर्गत धारा 44(1) म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959

श्री. ए0के0शर्मा
 अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी विनय पूर्वक निवेदन करते हैं कि:-
 प्रस्तुतकार सीडर (राजस्व मंडल)
 15 SEP अपीलार्थी की ओर से उपरोक्त अपील विचारण न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर
 महोदय, कटनी, जिला-कटनी द्वारा रा.प्र.कं. 08/अ-25/ 2017-18 में
 अधिवक्ता
 कार्यालय कमिश्नर जयपुर संभार
 पारित आदेश दिनांक 08/05/2018 से व्यथित होकर निम्नलिखित तथ्यों

Not press.
25-9-18

एवं आधारों पर प्रस्तुत है।

अपील के तथ्य



1. यह कि, अपीलार्थीगण उपरोक्त पते का निवासी है और ए.बी. बिल्डफेम प्राइवेट लिमिटेड, में उपरोक्त कार्य के लिये अधिकृत किया गया है।
2. यह कि, अपीलार्थी द्वारा कंपनी की ओर से अधिकृत होकर ग्राम मटवारा, प.ह.नं. 78, रा.नि.मं. स्लिमनाबाद, तहसील बहोरीबंद, स्थित खसरा नंबर-422 रकवा 0.76 हेक्टेयर, आवेदक के भूमिस्वामी हक की भूमि के बदले शासकीय भूमि ख.नं. 373, रकवा 4.92 हेक्टेयर, भूमि में से 0.76 हेक्टेयर, भूमि तबादले में दिये जाने की मांग की गइरजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से खरीदा गया। और उसके द्वारा नामांतरण कर दर्ज कराया गया है।


3. यह कि, आवेदक कंपनी द्वारा उपरोक्त ग्राम में वृक्षारोपण का कार्य

कलिय भूमि पर किया जा रहा है और...

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील/5886/2018/कटनी/भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमाओं आदि के हस्ताक्षर
S-10-18	<p>अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री राजेश कुमार खरे उपस्थित। उनके द्वारा प्रकरण आगे न चलाने का अनुरोध किया गया है। अपीलार्थी अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। विचारोपरांत प्रकरण आगे न चलाने के कारण प्रकरण (नोट प्रेस) में समाप्त किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	